राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.1(93)कार्मिक/क–3/1997 जयपुर, दिनांक 11 JAN 2018

आदेश

डा0 आर. पी. गौड, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूरोड़, सीकर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.04.2002 द्वारा राज्य सेवा से पदच्युत किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था । उक्त आदेश से व्यथित होकर डा0 आर. पी. गौड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2102/2002 दायर की । उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 03.03.2009 को निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः–

"In view of whatever said above. the entire inquiry suffers from fundamental infirmities in observing mandatory provisions of the Rules of 1958 that ultimately results in gross violation of doctrine of reasonable opportunity. Such infirmities vitiate entire process that resulted into imposition of a severe penalty of dismissal upon the petitioner.

The petition for writ, therefore, deserves acceptance and as such is allowed. The order impugned dated 24.04.2002 passed by the disciplinary authority dismissing the petitioner from service as a consequent to disciplinary action taken under memorandum dated 06.05.1997 is quashed. The petitioner is declared entitled for receiving all consequential reliefs and benefits flowing as a result of quashing the order dated 06.05.1997"

उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ में डी.बी. 746/2009 दायर की, जिसमें मा0 न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.05.2017 के द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया–

"In the light of above discussion, we are of the opinion that no error has been committed by the learned single judge to allow the writ petition filed by the respondent - petitioner and to quash the order of dismissal which is in violation of Rule 16 (9) of the Rules of 1958, so also, in contravention of procedural law laid down by the Hon'ble supreme court in aforesaid cases.

Consequently, we find no force in this special appeal and therefore, the same is hereby dismissed."

उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एल.एल.पी. (सी) 32656/2017 दायर की, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.11.2017 के द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया–

"No ground for interference is made out in exercise of our jurisdiction under Article 136 of the constitution of India.

The special leave petition is accordingly dismissed. pending application, if any, stands disposed of."

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त निर्णय का इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.04.2002 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

लगातार.....2

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.03.2009 की अनुपालना में राज्य सरकार, डा0 आर. पी. गौड, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूरोड़, सीकर के विरूद्ध जारी दण्डादेश क्रमांक प.1(93)कार्मिक/क–3/97, दिनांक 24.04.2002, (जिसके द्वारा डा0 आर. पी. गौड को "राज्य सेवा से पदच्युत" किये जाने से दण्डित किया गया था), को अपास्त किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(106)विजॉ/2001.02/1233 दिनांक 01.03.2002 के सन्दर्भ में ।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2009 की पालना सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.03.2009 की पालना सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्मिक (क–3/वादकरण) विभाग ।
5. कार्मिक (क–1/गो. प्र.) विभाग (जन्म तिथि)
6. कार्मिक (क–3/निरी.) विभाग 10( )
7. डा0 आर. पी. गौड, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य),
   द्वारा– शासन उप सचिव,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राज.जयपुर
8. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई–26/कवि/आर–85/2018/ 95 **दिनांक :** 12/01/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.26(22)चिस्वा/2/17 दिनांक 12.01.2018 के कम में।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर।
4. सहायक निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को भेजकर कर लेख है कि डॉ. आर.पी. गौड़, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) को देय समस्त परिलाभों की गणना कर भुगतान की कार्यवाही आज ही सुनिश्चित करें, तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें। अवमानना याचिका में नियत दिनांक 15.01.2018 को न्यायालय को अवगत करावें।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबू रोड़, सिरोही।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ए.टी.सी./डी.पी.सी./गोपनीय प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
8. डॉ. आर.पी. गौड़, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही। [illegible] ई-मेल
9. रक्षित/निजी पत्रावली। पर भेजें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।